# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **28/2020** दायर दिनाँक **11.09.2020**

| प्रार्थीगण | | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. उम्मेद खां पुत्र चांद खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज.। | **बनाम** | 1. गंगाराम पुत्र श्री कामड(फौत)<br>1/1 सुरजाराम पुत्र गंगाराम(फौत)<br>1/1/1 पार्वती पत्नी स्व. सुरजाराम<br>1/1/2 रामदेवाराम पुत्र स्व. सुरजाराम<br>1/2 पार्वती देवी पत्नी स्व. सुरजाराम<br>1/3 रामदेवाराम पुत्र स्व. सुरजाराम<br>1/4 राजुराम पुत्र स्व. सुरजाराम<br>2. रेंवताराम पुत्र कामड (फौत)<br>2/1 रामूडी पत्नी स्व. रेंवताराम(फौत)<br>2/2 किशनाराम पुत्र स्व. रेंवताराम<br>2/3 धुडाराम पुत्र स्व. रेंवताराम<br>2/4 जगदीश पुत्र स्व. रेंवताराम<br>3. शिवकरण पुत्र हीराराम (फौत)<br>3/1 केशर उर्फ भवरी देवी पुत्री हिराराम<br>4. पप्पूराम पुत्र टोडाराम जरिये कुदरती संरक्षक माता बाजूडी<br>5. मोहनाराम पुत्र टोडाराम जरिये कुदरती संरक्षक माता बाजूडी<br>6. छोटूराम पुत्र टोडाराम जरिये कुदरती संरक्षक माता बाजूडी समस्त जाति मेघवाल निवासीगण आगूंता तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन<br>7. बिलाल खां पुत्र स्व. चांद खां (प्रफोर्मा अप्रार्थी)<br>8. अली खां पुत्र स्व. चांद खां (प्रफोर्मा अप्रार्थी)<br>9. अलादीन खां पुत्र स्व. चांद खां (प्रफोर्मा अप्रार्थी)<br>10. रोशन खां पुत्र स्व. चांद खां (प्रफोर्मा अप्रार्थी) समस्त निवासीगण खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.<br>11. तहसीलदार डीडवाना |

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

**प्रार्थना–पत्र**
**अन्तर्गत धारा–251 ए**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थितः–

1. श्री मो. अली शेरानी वकील प्रार्थी।
2. श्री नेमीचन्द शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान, 3/1, 4 ता 6 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **23.04.2026**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रफौमा अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 का खसरा सं. 259 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा मौजा आगूंता पटवार क्षेत्र आगूंता तहसील डीडवाना में अवस्थित है जो कि प्रार्थी व प्रफौमा अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 के खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थी के उक्त खेत खसरा 259 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सख्या 7 ता 11 बावजूद सम्मन तामीली अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान, 3/1, 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता नेमीचन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान, 3/1, 5 ता 6 की ओर से जवाब पेश न होने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता नेमीचन्द शर्मा ने जवाब पेश कर जवाब में बताया कि प्रार्थीगण ने सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा से सूचना मिलने से पूर्व ही दिनांक 08.11.2021 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में व बिना किसी सूचना के बनाई गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2021 को तैयार की गई व अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा से 2022 में पहली बार जरिये नोटिस उक्त प्रकरण की सूचना मिली। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय व बिना अप्रार्थीगण को सूने व बिना अप्रार्थीगण को सूचना दिये मौके की स्थिति के विपरित व अधूरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ से खसरा नम्बर 26 में से कदीमी काल से काम में लेते आ रहे है जिसका भी उल्लेख तथ्यात्मक रिपोर्ट में नहीं है। यह वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन में नजदीकतम रास्ता लगता है जिसका कोई मौका रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। प्रार्थी के पूर्वी तरफ के वैकल्पिक रास्ते का कोई नक्शा तक नहीं बनाया गया है। इसलिए मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के खेत में अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसका उल्लेख मौका की रिपोर्ट में नहीं है। प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ अप्रार्थी के राजस्व रेकर्ड तक को पेश नहीं किया है। जिससे भी यह आवेदन काबिले खारिज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा के खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमावे।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अप्रार्थी संख्या 4 के जवाब में मौके रिपोर्ट के आपत्ति के उपरान्त पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार डीडवाना से नवीनतम मौका रिपोर्ट से जरिये पत्रांक –रीडर/2023/359 दिनांक 17.06.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम आगून्ता के खसरा संख्या 527 (पुराना 259) रकबा 6.09 है. में ग्र्रम आगुन्ता के खसरा सख्या 528 रकवा 5.3100 है. में से आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। आवेदकगण के खसरा नम्बर 527 रकबा 6.09 है. में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड अनुसार कटाणी रास्ता नही लगता है। आवेदकगण को अपने खेत में कृषी कार्य व पशुधन लाने–ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है आवेदक को रास्ते की पूर्ण आवश्कता है सबसे नजदीकी लगने वाला कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 528 रकबा 5.3100 में से होकर है। नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी सबसे नजदीक कटाणी रास्ता है तथा खसरा नम्बर 528 के खातेदारों द्वारा इस स्थान पर मेड बनाकर खेत के दो भाग किये हुए है। बिन्दु संख्या ए से बी की लम्बाई 156 मीटर है आवेदक द्वारा 6 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है अतः कुल 936 वर्गमीटर (0.0936 है.) भूमि खसरा नम्बर 528 में से नजरी नक्शा अनुसार रास्ते के उपयोग मे आयेगी।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस रास्ता नहीं दिये जाने के सबंध में कोई विशेष कथन नही किया।

बहस पर मनन किया एवं, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पूर्व में तैयार मौका फर्द अनुसार प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 527 (पुराना 259) में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हैं आवेदक ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 528 में से रास्ता चाहा है जो कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार सबसे नजदीकी रास्ता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है। तहसीलदार रिपॉर्ट मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 528 रकबा 5.3100 है. के मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

## –:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा आगून्ता के खसरा संख्या 527 (पुराना खसरा संख्या 259) में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक –रीडर/2023/359 दिनांक 17.06.2023 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 वाके सरहद आगून्ता में दर्शित मार्क A से B को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक –रीडर/2023/359 दिनांक 17.06.2023 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(विकास [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना